सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 6 राँची, मंगलवार, 12 पौष, 1939 (श०)

2 जनवरी, 2018 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

17 मार्च, 2015

विषयः- राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत लाभुक परिवारों की चयन हेतु अपनाये जानी वाली प्रक्रिया के संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।

संख्या - खा.आ. 01/ज.वि.प्र./07/2011 - 879, -- विभागीय संकल्प संख्या-3297, दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 के माध्यम से राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 को दो चरणों में लागू किये जाने का प्रस्ताव है । संकल्प की कंडिका 7 में उल्लेखित है कि प्रथम चरण में सभी चिन्हित अन्त्योदय अन्न योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना (बी॰पी॰एल॰) एवं अतिरिक्त बी॰पी॰एल॰ योजना के चिन्हित परिवारों को सम्मिलित किया जायेगा, जबकि द्वितीय चरण में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत आच्छादित होने वाले कुल लाभुकों की संख्या में से प्रथम चरण में चिन्हिंत लाभुकों के बाद अवशेष बचे परिवारों/लाभुकों को Socio-Economic Caste Census (SECC-2011) Data के आधार पर चयन किया जायेगा ।

2. राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 को 2 चरणों में लागू किये जाने हेतु लिऐ गये निर्णय के समय राज्य में SECC-2011 के डाटा की उपलब्धता के संबंध में संशय की

स्थिति थी एवं यह तय नहीं था कि राज्य के जिलों से संबंधित डाटा कबतक प्राप्त हो पायेगा । वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा सूचित किया गया है कि राज्य में आठ जिलों का अंतिम प्रकाशन हो चुका है तथा बारह जिलों का प्रारूप सूची प्रकाशित हो चुका है । मात्र चार जिलों में प्रारूप का प्रकाशन किया जाना है । साथ ही ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि दिनांक 15 मार्च, 2015 तक SECC डाटा का अंतिम प्रकाशन संभावित है ।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बी०पी०एल० सर्वेक्षण 1997-2002, 2002-2007 एवं पुनः सर्वेक्षण 2010 के आधार पर लाभुकों को विभिन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है । समय-समय पर अयोग्य लाभुकों की इन सूची में शामिल होने तथा योग्य व्यक्तियों की इस सूची से बाहर होने की शिकायत प्राप्त होती रहती है । इसके अतिरिक्त इन सर्वेक्षणों के उपरांत कई परिवारों के खाद्य सुरक्षा निमित निर्धारित मानकों से बाहर हो जाने की भी संभावना है । उक्त परिपेक्ष्य में SECC डाटा जो अद्यतन रूप से Claims एवं Objections प्राप्त कर तैयार किया गया है, के आधार पर लाभुकों का चयन किया जाना प्रासंगिक प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त SECC डाटा एक 3rd Party द्वारा तैयार किया गया डाटा है जिसको तैयार करने में Stake Holder's की कोई भूमिका नहीं है । अतः डाटा के पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की संभावना नगन्य है ।

3. उक्त परिस्थिति में विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत आच्छादित होने वाले सभी लाभुक परिवारों/लाभुकों का चयन अपर्वजन मानकों के अनुरूप एक साथ Socio-Economic Caste Census Data 2011 के आधार पर ही किया जाय । तत्पश्चात समावेशन मानक के आधार पर परिवारों/लाभुको के चयन हेतु एक स्व-अभिप्रमाणित आवेदन पत्र प्रखण्ड स्तर/अनुमंडल स्तर/जिला स्तर के पदाधिकारियों के माध्यम से प्राप्त नए विहित प्रक्रिया के अनुसार उन्हें सम्मिलित करने की कार्रवाई की जायेगी । लाभुक परिवारों/लाभुकों के चयन के उपरांत अन्त्योदय परिवारों की पहचान के लिए अलग से दिशा-निर्देश विभाग द्वारा निर्धारित किये जायेगें ।

4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत गृहस्थियों के चयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या 3297, दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 में उल्लेखित अपर्वजन मानकों को विलोपित करते हुए नये अपर्वजन मानक निर्धारित किये गये हैं, जो निम्नप्रकार हैः-

- **<u>अपवर्जन मानकः-</u>**

(a) परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हों अथवा,

(b) परिवार का कोई सदस्य आयकर/सेवा कर/व्यवसायिक कर देता है अथवा,

(c) परिवार जिसके पास पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक भूमि का स्वामी है अथवा,

(d) परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन है अथवा,

(e) परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है अथवा,

(f) वैसे परिवार जिनके पास रेफ्रिजेटर/एयर कंडिशनर/वाशिंग मशीन है अथवा,

(g) वैसे परिवार जिनके पास कमरों में पक्की दीवारें तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान हो;

(h) वैसे परिवार जिनके पास मशीन चालित चार पहिऐ वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर इत्यादि) हो ।

5. समावेशन एवं अपवर्जन मानकों के आधार पर लाभुक गृहस्थियों के पहचान के पश्चात भी अगर अतिरिक्त लाभुकों की संख्या बढ़ाने अथवा घटाने की आवश्यकता होगी तो उक्त परिस्थिति में समावेशन एवं अपवर्जन मानकों को विस्तारित अथवा संकुचित करते हुये लाभुकों का चयन किया जा सकेगा ।

6. संकल्प संख्या 3297 दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी ।

7. संकल्प संख्या 3297 दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 को इस हद तक संशोधित माना जायेगा ।

ह०/-

विनय कुमार चौबे,

सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 6 -- 200